न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री नारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 29/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गुदड़राम पुत्र स्व0 पुखाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का वास, खारिया नींव तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, श्री अभीषेक ओझा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित ।

—: निर्णय :— दिनांक —03/03/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी मौजा ग्राम खारिया नींव तहसील सोजत का निवासी है तथा प्रार्थी के पिता पुखाराम की कृषि भूमि आयी हुई है, जो खसरा नम्बर 815/1671 रकबा 0.7900 हैक्टेयर बंजड़ व खसरा नम्बर 879 रकबा 4.8800 हैक्टेयर चाही दोयम आयी हुई है। पुखाराम, नेनाराम के पुत्र है व नैनाराम, धुलाराम के पुत्र है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि पुकाराम पुत्र धुलाराम दर्ज हो गयी है, जबकि पुखाराम पुत्र नेनाराम दर्ज होनी थी व उसके बाद पुकाराम पुत्र धुलाराम गलती से दर्ज हो गयी, जबकि धुलाराम, पुखाराम के दादाजी थे, पिताजी नेनाराम थे, परन्तु बर वक्त जमाबन्दी में लिपिकीय गलती से पुकाराम पुत्र धुलाराम दर्ज हो गया, जबकि पुखाराम पुत्र नैनाराम दर्ज होना था, जो एक लिपिकीय गलती हैं, पुखाराम के देहान्त के बाद प्रार्थी म्यूटेशन फौतेदगी भराने गया, तब पता चला कि उक्त जमाबन्दी में पुकाराम पुत्र धुलाराम दर्ज हो गया है, जिसे दुरूस्त कर पुखाराम पुत्र नेनाराम दर्ज किया जावे व उसी अनुसार दुरूस्ती का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2024/1495 दिनांक 09.10.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खारीया नींव के खसरा नम्बर 1221, 1222, 1591, 1597, 1620 से 1625 खाता नम्बर 319 व खाता संख्या 66 खसरा नम्बर 1053, 1446, 1552, 1552/1710, 1555, 1558 में पुखाराम / नेनाराम की मृत्यु पश्चात् गुदडराम पुत्र पुखाराम मुन्नीदेवी / पुखाराम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के संलग्न आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, खातेदार (प्रार्थी के पिता) का आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में पुखाराम पुत्र नेनाराम अंकित है। खारीयानींव के मौतबिरान से पूछताछ में सभी ने प्रार्थी के पिता का नाम पुखाराम पुत्र नेनाराम होना बताया। पत्रावली संख्या 24/74 में दिनांक 09.09.1974 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के फैसले में खसरा नम्बर 879, 815/1671 में खातेदार लालीया खेता चिमना केसीया चंदिया का खारिज

उपखण्ड अधिकारी

कर प्रार्थीगण पुखा पुत्र धुला दर्ज कर दिया था। पुखाराम के पिता नेनाराम है जो सेवन से प्रार्थी के पड़दादा धुलाराम का नाम, पुखाराम / धुलाराम दर्ज हो गया जो त्रुटिपूर्ण है उक्त के स्थान पर पुखाराम पुत्र नेनाराम किया जाना उचित है।, की रिपोर्ट पेश की सा0म्नि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा खारीया नींव तहसील सोजत में खसरा नम्बर 815/1671 रकबा 0.7900 हैक्टेयर किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 879 रकबा 4.8800 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पुकाराम पुत्र धुलाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र नेनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फहरिस्त नय दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुखाराम की वल्दियत धुलारान दर्ज है, जबकि धुलाराम, पुखाराम के पिता नहीं होकर दादा हैं। पुखारान के पिता का नान नेनाराम हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी के पिता का नान/वल्दियत का सही एवं वास्तविक पुखाराम पुत्र धुलारान नहीं होकर पुखारान पुत्र नेनारान होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम पुखारान पुत्र धुलारान के स्थान पर सही व वास्तविक नाम पुखाराम पुत्र नेनाराम दुरूस्त रूप में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खारीया नींव, तहसील सोजत में खसरा नम्बर 815/1671 रकबा 0.7900 हैक्टेयर किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 879 रकबा 4.8800 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम/वल्दियत पुखाराम पुत्र धुलाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र नेनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)